

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश मंदिर
पो.-जवासिया, उज्जैन (मध्य-प्रदेश)

दूरभाष / Tele : (0734) 2502266, 2502254, फ़ैक्स / Fax : (0734) 2502253
e-mail : msrvvpujn@gmail, Web : www.msrvvp.nic.in

—निविदा प्रपत्र—

कार्य का नाम:— वर्ष खण्ड 2018-19 हेतु प्रतिष्ठान का क्रेटरिंग कार्य
(वर्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु)

निविदा की अंतिम तिथि :	25 जुलाई, 2018 बुधवार सांय 06:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :	26 जुलाई, 2018 गुरुवार प्रातः 11:00 बजे
सेवा / कार्य की अनुमानित लागत राशि :	रु. 8,00,000 /— (आठ लाख रुपये मात्र)
धरोहर राशि :	रु. 16,000 /— (सोलह हजार रुपये मात्र)
बैंक फिक्स डिपोजिट संख्या / डी.डी. संख्या :	
दिनांक :	
बैंक का नाम व पता :	
कार्य के पूर्ण करने की समय सीमा / समयवधि	एक वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।)
निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था का नाम एवं पता: (दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर सहित)	

प्रतिष्ठान के उपर्युक्त कार्य हेतु इच्छुक एवं अधिकृत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

केटरिंग कार्य की निविदा के लिए नियम एवं शर्तें:-

1. धरोहर राशि का डी.डी./एफ.डी.आर. पोर्टल पर अपलोड कर वास्तविक प्रति प्रतिष्ठान को निर्धारित दिनांक तक प्रेषित करें। डी.डी./एफ.डी.आर **महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन** के नाम देय होगा।
2. फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र।
3. निविदाकार को शासकीय एवं अर्द्धशासकीय तथा औद्योगिक संस्थाओं का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र/कार्यादेश। इसमें निविदा मूल्य की लागत का 80% का एक प्रमाण-पत्र अथवा 60% के दो प्रमाण-पत्र आवश्यक हैं जो विगत 7 वर्षों के अन्दर प्राप्त किये गये हों।
4. निविदाकार फर्म का पैनकार्ड।
5. विक्री कर विभाग से जारी TIN नम्बर।
6. सर्विस टैक्स क्रमांक।
7. निविदा में फर्म के प्रोपराइटर के नाम के साथ हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।
8. निविदा में दिये गये प्रारूप के अनुसार सभी मदों में दरें भरना अनिवार्य है।
- क) **तकनीकी बोली**— उपर्युक्त अनुसार माँगे गये समस्त प्रमाण प्रपत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रतियाँ एवं निर्धारित अमानत राशि का फिक्स डिपोजिट रसीद (FDR) / D.D. की स्कैन कापी अपलोड कर मूल प्रति निविदा की अन्तिम तिथि के पूर्व व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा प्रतिष्ठान कार्यालय को प्रेषित करें।
- ख) मेन्यू एवं आवश्यक दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं।
- ग) **वित्तीय बोली** — प्रतिष्ठान द्वारा जारी वित्तीय निविदा फार्म में निर्धारित स्थान पर निविदा दरें भरी जाएं। प्रस्तुत निविदा दरों में किसी प्रकार की काट-छाँट या (overwriting) मान्य नहीं होगी।

निम्न स्थितियों में निविदा अमान्य/निरस्त मानी जाएगी :

1. धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
2. निविदा दरें प्रतिष्ठान की शर्तों पर आमंत्रित की गई हैं। अतः निविदाकार की कोई शर्त या बंधनकारी प्रावधान मान्य नहीं होगा अर्थात् सशर्त प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित निविदा फार्म में किसी प्रकार का टैक्स भुगतान या शर्तों का उल्लेख न किया जाए।
3. निविदा दरों का सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा होना आवश्यक है। किसी प्रकार की अस्पष्टता एवं काट-छाँट आदि होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।

4. एक मद में भी निविदा दर न भरने पर निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी। निविदा प्रपत्र में दिये गये मद एवं मात्रा में ही दरें स्वीकार्य होंगी। अन्य मद एवं मात्रा में दी गई दरें स्वीकार्य नहीं होंगी।

अन्य जानकारियाँ :

1. निविदा खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
2. निविदा खोलने में सर्वप्रथम तकनीकी बोली पर विचार होगा। माँगे गये सम्पूर्ण प्रपत्रों के प्राप्त होने पर ही वित्तीय निविदा पर विचार होगा। तकनीकी निविदा में अधूरे प्रपत्र प्राप्त होने पर वित्तीय निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
3. निविदा स्वीकार्य होने के स्थिति में निविदा स्वीकृत पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन में सफल निविदादाता को स्वीकृत निविदा राशि की 5% धनराशि का A/c Payee D.D. या FDR निष्पादन गारंटी के रूप में प्रतिष्ठान में जमा कराना अनिवार्य होगा। जो कार्य समापन तिथि से 60 दिन अधिक अवधि तक मान्य हो। निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
4. निष्पादन गारंटी प्राप्त होने के अनन्तर एक सप्ताह के अन्दर कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर कार्य का अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा तदनन्तर कार्य आरम्भ किया जाएगा।
5. कार्यादेश जारी होने की तिथि के पन्द्रह दिन बाद की तिथि से कार्य प्रारम्भ माना जाएगा। उसी तिथि से समापन तिथि की गणना की जाएगी।
6. निविदा स्वीकार न होने की दशा में (चयनित निविदादाता को छोड़कर अन्य सभी निविदादाताओं की) धरोहर राशि का फिक्स डिपोजिट रसीद (FDR) / D.D. वापस लौटा दी जाएगी।
7. कार्य की विचलन सीमा (Deviation Limit) 100% रहेगी।
8. सेवाओं में लापरवाही या कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर सम्बन्धित एजेन्सी का अनुबन्ध अवधि से पूर्व ही समाप्त करने का अधिकार प्रतिष्ठान सचिव को होगा।
9. निर्धारित समय सीमा में कार्यादेश का पालन न करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।
10. सन्तोषजनक कार्य होने पर कार्यावधि समिति की संस्तुति पर क्रमशः एक-एक वर्ष कर तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है। समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत दर में यथोचित प्रतिवर्ष वृद्धि की जा सकती है।
11. सामान लाने ले जाने के लिए किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट का किराया आदि अलग से भुगतान नहीं होगा।
12. बिल राशि से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान की रहेगी। टीडीएस कटौती से सम्बन्धित 16ए फार्म टीडीएस जमा होने के पश्चात् जारी किया जाएगा।

13. निविदा स्वीकृत करना, अस्वीकृत करना या पुनः आमंत्रित करने का अधिकार प्रतिष्ठान के अधीन रहेगा।
14. प्रतिष्ठान के सचिव का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
15. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के लिए भारतीय कानून के साथ न्यायायिक क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

मेन्यू (नाश्ता)

1. इडली-बड़ा, सांभर, नारियल चटनी
2. उत्तपम, सांभर, नारियल चटनी
3. उपमा / पोहा / खमण (ढोकला), चटनी
4. आलू-बड़ा / कचोरी / समोसा
5. ब्रेड पकोड़ा / पनीर पकोड़ा / आलू-गोभी-पालक के पकोड़े, चटनी, सॉस
6. छोले-भटूरा / सब्जी-पूड़ी, दही, अचार
7. पराठा (आलू, गोभी, पनीर), दही, अचार, चटनी
8. मीठा -सूजी हलवा, इमरती, जलेबी, लड्डू/मावा/बेसन चक्की या अन्य मीठा

मेन्यू (दोपहर तथा रात्रि भोजन)

- स्पेशल सब्जी-** पनीर (शाही पनीर, पालक पनीर, मटर पनीर, पनीर मसाला, कढ़ाई पनीर, पंजाबी पनीर, आदि)
मेथी मलाई मटर, चना मसाला, मिक्स वेज, मावा मटर मलाई कोफ़ता, दम आलू या अन्य
- सीजनल सब्जी-** (आलू-गोभी, आलू-मटर, भिन्डी मसाला, शिमला मिर्च, लौकी कोफ़ता, मेथी/पालक, बैंगन, कद्दू, आदि)
- दाल -** तुअर दाल / मूंग दाल, उड़द दाल
- चावल -** प्लेन राईस, जीरा राईस, पुलाव, आदि
- मीठा -** रस मलाई, रस गुल्ला, गुलाब जामुन, मूंग हलवा, गाजर का हलवा, मक्खन बड़ा, मालपुआ, राजभोग या अन्य

स्पेशल भोजन में

- मीठा -** काजू कतली या अन्य मीठा, आईसक्रीम, केसरिया दूध (ड्राई फ्रूट की कतरन के साथ) ।
दही बड़ा, रायता (बून्दी रायता, पाईनेपल रायता, खीरा रायता, प्लेन दही, छाछ, आदि)
- सलाद -** ग्रीन सलाद, फ्रूट सलाद, अंकुरित सलाद, आदि
- पापड़ -** फ्राई, सादा

नोट:- उपर्युक्त मेन्यू में चर्चानुसार तथा सामग्री की उपलब्धता अनुसार आईटम में परिवर्तन किया जा सकता है।

आवश्यक दिशा-निर्देश -

- | | | |
|------------------|---|-------------------------|
| प्रातः कालीन चाय | - | प्रातः 6 से 7 बजे तक |
| प्रातः नाश्ता | - | प्रातः 7 से 9 बजे तक |
| दोपहर भोजन | - | दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक |
| सायंकालीन नाश्ता | - | सायं 4 से 5 बजे तक |
| रात्रि भोजन | - | सायं 7 से 9 बजे तक |
1. अतिथियों/प्रतिभागियों की संख्या कार्यक्रम तिथि के दौरान निर्धारित समय पर बता दी जायेगी ।
 2. सभी वस्तुओं में गुणवत्ता/ब्रान्डेड सामग्री उपयोग में लायी जायेगी जिसमें -
 1. आटा एवं बेसन (आशीर्वाद/शक्तिभोग, आदि)
 2. घी (सांची/अमूल/पतंजलि)
 3. तेल (मूंगफली दम्मानी ब्रांड)
 4. चावल बासमती
 5. मसाले (एम.डी.एच./पतंजलि/एवरेस्ट)
 6. नमक (टाटा/पतंजलि)
 7. सब्जी ताजी
 8. मावा अच्छी क्वालिटी का
 9. चाय (ताज, रेड लेबल, आदि)
 10. कॉफी नेस्कैफे
 11. दूध (सांची हाईफैट)
 3. भोजन परोसने की व्यवस्था बफेट, कुर्सी-टेबल तथा नीचे बैठ कर तीनों प्रकार से की जा सकती है। आवश्यकता होने पर नीचे बैठ कर भोजन करने वाले प्रतिभागी वैदिक पंडितों के लिये लगभग 100 से 150 लकड़ी के पट्टे आपको उपलब्ध कराने होंगे।
 4. भोजन बनाने-परोसने के बर्तन, भोजन खिलाने की अच्छी साफ क्वालिटी की क्राकरी, डिस्पोजेबल ग्लास/कटोरी, पेपर-नेपकीन, आदि समस्त व्यवस्था आपको करनी होगी।
 5. दिन भर पानी पीने के डिस्पोजेबल व चाय/कॉफी के ग्लास की व्यवस्था आपको करनी होगी।
 6. आवश्यकता होने पर केसरिया दूध मिट्टी के कुल्हड़ में दिया जा सकता है, जिसकी व्यवस्था आपको करनी होगी।
 7. भोजन के साथ पीने के पानी की व्यवस्था कंटेनर्स को करनी होगी।

8. भोजन के अतिरिक्त समय पीने का पानी तथा अन्य उपयोग में लाये जाने वाले पानी की व्यवस्था प्रतिष्ठान करेगा।
9. भोजन परोसने के लिये उचित संख्या में वेटर जो साफ-सुथरी ड्रेस के साथ आप द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे। बैठकर भोजन करने वाले पंडितों के लिये सफेद धोती-कुर्ता के साथ वेटर भोजन परोस सकते हैं।

.....